(ख) नामांकन कौन दे सकता है ?

(i) वैसे सभी व्यक्ति नामांकन दे सकते हैं जिनके नाम संबधित बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि० (COFFED), की मतदाता सूची में सम्मिलित है और जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) एवं दि मल्टी स्टेट कोपरेटिभ सोसाईटी एक्ट 2002 की धारा 43 में उल्लिखित अयोग्यताओं के अधीन नहीं हैं।

(ii) नामांकन प्रपत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) जिन व्यक्तियों के नाम किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त होने के चलते गिरफ्तारी के वारंट निर्गत है, वे आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही नामांकन पत्र दाखिल करने के अधिकारी बन सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संबंधित बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि० (COFFED), की मतदाता सूची की एक–एक प्रति स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध करा देंगे, तथा उनसे ऐसे सदस्यों की सूची प्राप्त कर अपने पास रखेंगे जिनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट लम्बित हैं। नामांकन की अवधि में एक स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी नामांकन स्थल पर मौजूद रहेगा जो ऐसे वारंटी व्यक्तियों के उपस्थित होने पर उसे तुरंत अपनी अभिरक्षा में ले लेगा तथा उस व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दे दिये जाने के पश्चात अग्रेतर विधिक कार्रवाई करेगा।

(iv) एक व्यक्ति एक पद के लिए अधिकतम दो (2) नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।

(v) नामांकन देने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रहना आवश्यक है।

(vi) समिति के पास हिस्सा प्रमाण–पत्र रहना आवश्यक है।